IT Cell

I-VIII

हरियाणा सरकार
स्कूली शिक्षा विभाग

निरीक्षण प्रपत्र निजी स्कूलों को मान्यता देने हेतु निरीक्षण

निरीक्षण की तिथि: 17 (दिन) 12 (महीना) 2013 (साल)

जिला: BHIWANI

उपखण्ड: LOHARU

1. विद्यालय का विवरण

क. सामान्य

1 विद्यालय का नाम: SHIV MIDDLE SCHOOL

2. मान्यता का प्रकार (जिसके लिये आवेदन किया है): प्राईमरी [ ] मिडल [✓] हाई [ ] सी0 सै0 [ ]

3. 10+2 के लिये संकाय दर्शायें (जिस के लिये आवेदन किया है): आर्ट [-] कॉमर्स [-] साईंस [-]

4. यदि पहले से मान्यता प्राप्त है तो संकाय आदेश क्रमांक व दिनांक सत्यापित प्रति संलग्न करें: नं0 [-] दिनांक [-]
प्राईमरी [-] मिडल [-] हाई [-]
डायरेक्टर [-] डी0ई0ओ [-] स्थाई मान्य [-]

नं0 [ ] दिनांक [ ]
शहर [ ] देहात [ ]

ख. विद्यालय की स्थिति का विवरण

1. प्लाट संख्या
2. सैक्टर/ मोहल्ला
3. शहर/कस्बा/ गांव — FARTIA TAAL
4. हुडा/म्युनिसपल कमेटी/ पंचायत
5. सी0डी0 खण्ड — LOHARU
6. विधानसभा क्षेत्र — BHIWANI
7. जिला
8. टेलीफोन नं0 एस.टी.डी. कोड सहित — 01252258004
9. फेक्स नं0
10. ई-मेल पता

ग. विद्यालय का प्रकार

1. विद्यालय की प्रकार: लड़के [ ] लड़कियां [ ] को0 एजुकेशन [✓]
2. दाखिला किये गये विद्यार्थियों संख्या: 136 — 136
3. बोर्ड का नाम जिससे मान्यता प्राप्त है: बी.ओ.एस.ई. [ ] सी.बी.एस.ई [ ] आई.सी.एस.ई [ ] अन्य [ ]
4. विवरण:
   अ. 1-8 वीं तक: बी.ओ.एस.ई. [ ] सी.बी.एस.ई [ ] आई.सी.एस.ई [ ] अन्य [ ]
   ब. 9-12 वीं तक: बी.ओ.एस.ई. [ ] सी.बी.एस.ई [ ] आई.सी.एस.ई [ ] अन्य [ ]
5. माध्यम: हिन्दी [ ] अंग्रेजी [ ] दोनों [✓] अन्य [ ]

2. विधालय संचालक समिति का विवरण

क. नाम: SHIV EDUCATION AND WELFARE SOCIETY

निजी/निजी संस्था/ट्रस्ट जो ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत तथा 1982 या सोसाईटी पंजीकृत एक्ट 1860 या कम्पनी एक्ट 1956

ख. पंजीकरण विवरण

1. मैनेजमैंट की स्कीम क्या प्रस्तुत की: हां [✓] नहीं [ ]
2. क.पंजीकरण क्रमांक और दिनांक: 0317 — 30 03 2012
2. ख.पंजीकरण प्राधिकरण: BHIWANI
3. मैनेजिंग कमेटी बनाई या नहीं: हां [✓] नहीं [ ]
4. मैनेजिंग समिति के सदस्यों की संख्या: 07
बाई लॉ की प्रति: हां [✓] नहीं [ ]

3. भूमि का विवरण (नियम 30 में दर्शाया गया है)

क. भूमि क्षेत्रफल का विवरण — कुल जमीन

वर्ग मी0 ☐ एकड़ ☐ कनाल 23 मरला ☐

क्या खेल का मैदान है — हां ☑ नहीं ☐

यदि हां तो — क्षेत्रफल ☐ — स्कूल से दूरी ☐

ख. भूमि की स्थिति

1. खेवट/खसरा सं0/किला सं0/प्लाट सं0 — खेवट 371,2,17 खसरा ☐ किला 22 प्लाट ☐
2. क्या भूमि इकठ्ठी है या अधिक — टुकड़े का क्षेत्रफल ☐
3. यदि एक से अधिक है तो तहसीलदार द्वारा सत्यापित सजरा लगायें — हां ☐ नहीं ☐
4. क्या भूमि का टुकड़ा पर आवागमन आसान है और आरामदायक है — हां ☑ नहीं ☐

ग. मालीकाना विवरण

1. निजी/निजी संगठन/ ट्रस्ट या सोसाइटी या कम्पनी या विद्यालय के मालिक का नाम — USHA KAJAL
2. मालिकाना दस्तावेज लगायें — हां ☑ नहीं ☐

घ. पटटानामा देने वाले का विवरण

1. नाम — SANDEEP S/o OMPRAKAS
2. पता — HEARTIA TAAL

ङ पटटानामा विवरण

1. पटटानामा नाम प्रधान/सचिव/मेनेजर — PRESIDENT
2. क्या प्राधिकारी पत्र लगाया — हां ☑ नहीं ☐
3. क्या प्रस्ताव पत्र की प्रति लगाई — हां ☑ नहीं ☐
4. पटटानामा की प्रति लगाई या नहीं — हां ☑ नहीं ☐

4. भवन विवरण

क. भवन योजना — हां ☑ नहीं ☐

1. भवन योजना क्या मकानमालिक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मालिक या पटटानामा बनाया हुआ क्षेत्रफल
1. छपा हुआ मैदान — 55X203 वर्ग फुट
2. कुल छपा हुआ क्षेत्र यदि एक मंजिल से अधिक है — 55X203 वर्ग फुट
3. छपे हुए तल का प्रतिशत — 1:11
4. छत क्षेत्र का अनुपात
5. भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र पी0डब्ल्यू0डी0 से/ एम0सी0 से/ पंजीकृत इंजीनियर से (प्रति संलग्न) — हां ☑ नहीं ☐
6. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र फायर ब्रिगेड से (प्रति संलग्न) — हां ☑ नहीं ☐
7. सी0एम0ओ0 से हाईजीन प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न) — हां ☑ नहीं ☐

ख. कमरों का विवरण

1. कुल कमरे — 115
2. कक्षा के कमरों की संख्या एक विभाग के लिये एक कमरा — 08

कक्षाओं के कमरे			फुटों में आकार ल0	चौ0	उ0	वर्ग फुट में क्षे0	वि0 की संख्या जो बैठ सकते हैं	कुल वि0
कुल कमरे	लेन्टर							
08	हां ☑	नहीं ☐	24	18	10	7344	30	510
	हां ☑	नहीं ☐						
	हां ☑	नहीं ☐						
	हां ☑	नहीं ☐						
कुल								

अन्य कमरे

मुख्याध्यापक का कार्यालय	हां ☑	नहीं ☐	24	× 18	× 10
स्टाफ का कमरा	हां ☑	नहीं ☐	24	× 18	× 10
कार्यालय का कमरा	हां ☑	नहीं ☐	24	× 18	× 10
पुस्तकालय	हां ☑	नहीं ☐	24	× 18	× 10
भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला	हां ☑	नहीं ☐		×	×
रसायन विज्ञान प्रयोगशाला	हां ☐	नहीं ☐		×	×
जीव विज्ञान प्रयोगशाला	हां ☐	नहीं ☐		×	×
इकठ्ठी विज्ञान प्रयोगशाला	हां ☑	नहीं ☐	36	× 18	× 10
कम्प्युटर प्रयोगशाला	हां ☑	नहीं ☐	36	× 18	× 10
वाणिज्य कमरा	हां ☐	नहीं ☐		×	×
स्टोर	हां ☑	नहीं ☐	24	× 18	× 10

किताबों की संख्या 902

ग. बरामदा

1. नये स्कूल के लिये :- 8 फुट सिंगल लोडिड तथा 10 फुट डबल लोडिड 12 फुट
2. पुराने स्कूल के लिये - 6 फुट सिंगल लोडिड तथा 6 फुट डबल लोडिड 12 फुट

घ. सीढ़ियां

1. नये विद्यालय के लिये 6 फुट चौड़ी हां ☑ नहीं ☐ यदि साईज नहीं 8 / 7
2. पुराने विद्यालय के लिये 4फुट6इंच तथा 100 फुट दूरी पर एक अन्य सीढ़ी हां ☐ नहीं ☐ यदि साईज नहीं 8 / 7

ङ. रैम्प

1. नये विद्यालय के लिये 6 फुट चौड़ा हां ☑ नहीं ☐ यदि साईज नहीं ☐
2. पुराने विद्यालय के लिये 6 फुट चौड़ा यदि विद्यालय में रैम्प नहीं है तो विकलांग विद्यार्थियों की कक्षा ग्राउन्ड फ्लौर पर लगायें हां ☐ नहीं ☐ यदि साईज नहीं ☐

च. प्रयोगशाला

मिश्रित विज्ञान प्रयोगशाला	☑	भौतिक विज्ञान	☐	संगीत	☐
फंगसनल इंगलिश	☐	रसायन विज्ञान	☐	मल्टीमीडिया	☐
गणित	☐	जीव विज्ञान	☐	अन्य	☐
भूगोल	☐	कम्प्युटर	☑		

छ. पीने के पानी की सुविधा हां ☑ नहीं ☐

ज. बिजली की सुविधा हां ☑ नहीं ☐

झ. विद्यार्थियों के लिये फर्निचर हां ☑ नहीं ☐

ट. प्रातः सभा के लिये खुला स्थान हां ☑ नहीं ☐

ठ. चारदिवारी हां ☑ नहीं ☐

1. लड़कियों के लिये शौचालयों की संख्या 02
2. लडकों के लिये शौचालयों की संख्या 02

कुल शौचालय 04

पानी का साधन Tubewell

5. स्टाफ विवरण संलग्न

क. क्या अध्यापक न्युनतम शिक्षा में निपुण हैं हां ☑ नहीं ☐

ख. क्या वेतनमान एपेन्डीक्स ए में दिये गये शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार सही है? हां ☑ नहीं ☐

यदि नहीं तो वेतन विवरण

1. संस्था के मुखिया (मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य) 1
2. प्रवक्ता
3. मास्टर/मिस्टरस 02
4. अध्यापक (जे.बी.टी./सी.एण्ड वी./भाषा/पी.टी.आई.) 06
5. गैर शिक्षक स्टाफ (क्लर्क/लैब सहायक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) 03

ग. स्टाफ के लिये नियम (नियम 162) हां ☑ नहीं ☐

घ. शिक्षकों का लिखित एग्रीमेंट (नियम 161) हां ☑ नहीं ☐

6. फीस ढांचा

क. कक्षा दर फीस व फण्ड (रेडकास, सी.डब्ल्यु.एफ. व खेल निधी) हां ☑ नहीं ☐

ख. क्या फीस नियम 158-159 के अनुसार ली जाती है हां ☑ नहीं ☐

ग. क्या फीस का विवरण सूचना पट पर लगाया जाता है हां ☑ नहीं ☐

घ. क्या रसीद दी जाती है हां ☑ नहीं ☐

Form-IX

7. विद्यालय रिकॉर्ड रखा जाता है — हां [✓] नहीं [ ]
8. एफीडेविट लगाया — हां [✓] नहीं [ ]
9. वित्तीय विवरण सी.ए. द्वारा — हां [✓] नहीं [ ]
   बैंक में जमा राशि का विवरण सत्यी करें
10. कार्यवाही फीस / फार्म फीस — हां [✓] नहीं [ ]
   5वीं के लिये रु0 1000/- 10वीं के लिये रु0 5000/-
   8वीं के लिये रु0 2500/- 12वीं के लिये रु0 10000/-
   बैंक ड्राफ्ट का विवरण
   ड्राफ्ट नं0 339156 दिनांक 30/8/12
   बैंक का नाम S.B.I. LOHARU जहां देय है CHANDIGARH
   फाइल नं0

स्वीकृतियां :-
हम इन्सपेक्शन कमेटी के सदस्य सन्तुष्ट हैं कि स्कूल तमाम नियम पूरे रखता है जिससे बाकी हरियाणा स्कूल एजूकेशन 2003 नियम के तहत व समय समय पर संशोधन या सलाह दी जायेगी हम उसको निम्न शर्तों पर रिकोगनिशन/अपग्रेडेशन स्वीकृत करते हैं

स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 136 होनी चाहिये।

नीचे दिये गये कारणों से स्कूल रिकोगनिशन/अपग्रेडेशन के काबिल नहीं है
1.
2.
3.
4.
5.
6.

हम कक्षा I से कक्षा VIII की स्वीकृती देते हैं/नहीं देते हैं

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
भिवानी
31/7/2013

खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी
Block Education Officer
Loharu (Bhiwani)

सरपंच ग्राम पंचायत
SARPANCH
GRAM PANCHAYAT
BARTHA TALL (LOHARU)

प्रेषक आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,

यादी कमांकः 22/ —2009 पी0 एस0 (2)
दिनांक चण्डीगढ :—

विषयः— प्रबन्धक कमेटी के अनुमोदन बारे—

.....

उपरोक्त विषय पर आपके यादी कमांक जी— / / दिनांक के सन्दर्भ में।

आप द्वारा भेजे गए मामले में निरीक्षण उपरान्त निम्न कमियां पाई गई है :—

1 **सस्था /ट्रस्ट/कम्पनीः—**

(i) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।

(ii) सविंधान की प्रति ।

(iii) प्रबन्धक समिति की चुनाव प्रकिया संलग्न नहीं की है।

2 **विद्यालय खोलने/अस्थाई मान्यता की प्रति नहीं है।**

3 **प्रबन्धक कमेटी के सदस्यो की सूचीः—**

(i) नाम पते एंव हस्ताक्षर सहित उल्लेख नही की गई।

(ii) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

(iii) सस्था द्वारा हस्ताक्षरित /मोहर नहीं है।

4 **प्रबन्धक कमेटी की सूची में सदस्य नहीं दर्शाया गया है।**

(i) प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक को पदेन सदस्य नहीं दर्शाया गया है।

(ii) शिक्षाविद (जो कम से कम स्नातक/बी0 एड0 होना चाहिए।) शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित नहीं है।

(iii) अध्यापक प्रतिनिधि नहीं दर्शाया गया है।

(iv) अभिभावक प्रतिनिधि नहीं दर्शाया गया है।

(v) महिला सदस्य नहीं दर्शाई गई है।

(vi) एक अन्य सदस्य नहीं दर्शाया गया है।

5 **छायांकित पत्रों की प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित नहीं है।**

उपरोक्त कमियां ( ) सम्बन्धित समिति से दूर करवाने उपरान्त मामला इस कार्यालय को भेजा जाए। एवं भविष्य में अधुरे मामले निदेशालय में न भेजें जाए।

अधीक्षक पी0 एस0
कृतेः आयुक्त एंव महानिदेशक
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।